संख्या-6/2020/1540/12-5-2019-सा०-13/2019

प्रेषक,

बृजराज सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ:: दिनांक:: 03 फरवरी, 2020**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 103-बीज, 03-प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन एवं बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एस०एफ०-2495-टी/नान प्लान-124/2019-20, दिनांक 19.12.2019 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 103-बीज, 03-प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन एवं बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र योजना के मानक मद 01-वेतन में रू० 184.81 लाख, 02-मजदूरी में रू० 545.24 लाख, 03-महंगाई भत्ता में रू० 13.80 लाख, 09-विद्युत में रू० 144.31 लाख, 43-सामग्री सम्पूर्ति में रू० 1200.00 लाख, 55-मकान किराया भत्ता में रू० 9.95 लाख तथा 56-नगर प्रतिकर भत्ता में रू० 1.89 लाख अर्थात् कुल रू० 2100.00 लाख के सापेक्ष मानक मद 01-वेतन में रू० 184.81 लाख, 03-महंगाई भत्ता में रू० 13.80 लाख, 09-विद्युत में रू० 144.31 लाख, 55-मकान किराया भत्ता में रू० 9.95 लाख तथा 56-नगर प्रतिकर भत्ता में रू० 1.89 लाख अर्थात् कुल रू० 354.76 लाख (रू० तीन करोड़ चौवन लाख छियत्तर हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि को विभागीय बचतों से संलग्न प्रपत्र बी०एम०-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त जारी स्वीकृति के सापेक्ष एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय बल्कि आवश्यकतानुसार धनराशि को कोषागार से आहरित की जाए।

3- पुनर्विनियोग की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

4- जिस मद में बचत बतायी गयी है चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में उस मानक मद में धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

5- जिस मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, धनराशि का व्यय उन्ही मदों में किया जायेगा। इससे इतर मद में धनराशि का व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

6- पुनर्विनियोग की जा रही धनराशि में आंकड़ों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

7- उक्त स्वीकृत की जा रही धनरशि अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 103-बीज, 04-प्रमाणित बीजों पर अनुदान (राज्य सेक्टर) योजना के मानक मद 27-सब्सिडी में होने वाली बचत को पुनर्विनियोग करते हुए लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 103-बीज, 03-प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन एवं बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र योजना के मानक मद 01-वेतन, 03-महंगाई भत्ता, 09-विद्युत, 55-मकान किराया भत्ता तथा 56-नगर प्रतिकर भत्ता के नामे डाला जायेगा।

8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह आदेश उक्त शासनादेशों में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय
बृजराज सिंह यादव
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-6/2020/1540(1)/12-5-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्न की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
6. समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से
वीरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र–बी0एम0–09 (भाग–1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली–भाँति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम –11 **कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)** वित्तीय वर्ष 2019–20

प्रपत्र बी0एम0–09

(धनराशि लाख रू0 में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात् शेष अनुदान/विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
2401 00 103 04 27 2401–फसल कृषि कर्म, 103–बीज, 04–प्रमाणित बीजों पर अनुदान योजना (राज्य सेक्टर)					
27–सब्सिडी	5500.00	2100.00	2100.00	354.76	5145.24
योग	**5500.00**	**2100.00**	**2100.00**	**354.76**	**5145.24**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में)	आवेदक पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2401 00 103 03 00 2401–फसल कृषि कर्म, 103–बीज, 03–प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन एवं बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र योजना					
01–वेतन	1166.99	1351.80	184.81	184.81	1351.80
02–मजदूरी	1456.69	2001.93	545.24	–	–
03–महंगाई भत्ता	175.05	188.85	13.80	13.80	188.85
09–विद्युत	175.00	319.31	144.31	144.31	319.31
43–सामग्री सम्पूर्ति	1000.00	2200.00	1200.00	–	–
55–मकान किराया भत्ता	10.50	20.45	9.95	9.95	20.45
56–नगर प्रतिकर भत्ता	1.50	3.39	1.89	1.89	3.39
योग	**3985.73**	**6085.73**	**2100.00**	**354.76**	**4340.49**

(रू0 तीन करोड़ चौवन लाख छियत्तर हजार मात्र)

1–स्तम्भ–3 में उल्लिखित योजनान्तर्गत खरीफ–2019 में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप बीजों का वितरण न हो पाने एवं रबी 2019–20 में बीज वितरण पर भारत सरकार द्वारा प्रमाणित बीजों पर अनुदान की धनराशि बढ़ाये जाने के फलस्वरूप राज्य सेक्टर से प्रदत्त अनुदान की सीमा कम होने के कारण बचत हो रही है।

2–स्तम्भ–8 में उल्लिखित धनराशि के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अपेक्षित धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार से न प्राप्त होने के कारण वेतन, मजदूरी, सामग्री सम्पूर्ति एवं विद्युत मदों में व्ययाधिक्य की स्थिति उत्पन्न हुई है।

3–प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या–150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्याः आर0ई0–302/ई–1–15–दस–2019, दिनांकः 20.01.2020

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(वीरेन्द्र कुमार)
अनु सचिव (कृषि)
उत्तर प्रदेश शासन।

हस्ताक्षर.....
नाम व पदनाम.....(नीलेश कुमार सिंह)
उप सचिव,
वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या– 1540/12–5–2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
(3) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
(4) वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (बी0एम0–9 तीन प्रतियों में)।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–1
(8) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।